न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–विशेष न्यायालय, सुपौल।

SC/ST Case No.- 136/2020
Tribeniganj P.S. Case No.- 319/2020

10/10/2023

अभिलेख आज संज्ञान के बिन्दु पर सुनवाई वास्ते प्रस्तुत किया गया। संज्ञान के बिन्दु पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद सचिक सुलतान दास के आवेदन के आधार पर अभियुक्त 1. लक्ष्मण यादव, 2. राम प्रकाश यादव, 3. अरविन्द यादव, 4. अर्जून यादव, 5. ब्रह्म कांत यादव उर्फ ब्रह्मदेव यादव एवं चार अज्ञात के विरूद्व धारा 147,148,149,447,341,342,504,323,436 भा0दं0वि0 एवं 3(i)(r) SC/ST Act के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। अनुसंधान पश्चात अनुसंधानकर्त्ता द्वारा प्राथमिकी के नामजद पांचों अभियुक्तों के विरूद्व धारा 420, 341, 342, 323, 435, 504, 506 भा0दं0वि0 एवं 3(i)(c)/3(2)(va) SC/ST एक्ट के अंतर्गत आरोप पत्र सं0 187/2021 दिनांक 28/08/2021 समर्पित किया गया है।

प्राथमिकी, आरोप पत्र एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। काण्ड दैनिकी के कंडिका 6, 7, 56, 57, 58 एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्री से आरोप पत्र के कंडिका 11 में वर्णित अभियुक्तों के विरूद्व अग्रिम कार्यवाही वास्ते अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है।

अतः आरोप पत्र के कंडिका 11 में वर्णित अभियुक्तगण **1. लक्ष्मण यादव, 2. राम प्रकाश यादव, 3. अरविन्द यादव, 4. अर्जुन यादव, 5. ब्रह्म कांत यादव उर्फ ब्रह्मदेव यादव के विरूद्व धारा 341, 342, 323, 435, 504, 506 भा0दं0वि0 एवं 3(i)(c)/3(2)(va) SC/ST एक्ट के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया जाता है।** वाद विचारण एवं निष्पादन हेतु निजी संचिका में रखा जाता है। कार्यालय अभियुक्तों की उपस्थिति वास्ते सम्मन निर्गत करें।

दिनांक 16/12/23 उपस्थिति वास्ते।

Nisi Kant Thakur

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम–
सह–विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0),
सुपौल